

5-6-24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपरिधत प्रकरण में विपक्षी स-2 व 7 का सम्मन जादू तामील प्राप्त हुआ प्रकरण में विपक्षी स-2 व 7 को रूक रूक कर बार बार डवार्जेन लगाई गई किन्तु सूचना के बावजूद उपरिधत नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुनाये जाने का निवेदन करने पर वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई प्रकरण में बहस सुने जाने के पर्याप्त पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया पत्रावली प्रस्तुत नकल जमानदी सम्मत 2078-2078 से खाता स. 141 में डाराजी स. 464 सी. 494 सी. 619, 664, 669, 670, 886/734 कुल रकबा 3.1400 है। भूमि प्रार्थीगण के दर्ज अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र अ.धा. 128 R A का स्वीकार किया जाता है। मौजा गुलगा म.ह. गोविन्दपुरा की डा.स. 464 सी. 494 सी. 619, 664, 669, 670, 886/734 कुल कित. 7 कुल रकबा 3.1400 है। भूमि कि पत्थर गठी किये जाने हेतु तहसीलदार बेगू को 2500 रुकामिस्तर शुल्क पर कमिस्तर नियुक्त किया जाता है। और निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त डाराजी के मौके की पत्थर गठी प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपरिधती में कि जाकर मालना रियोर्ट पेश करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से नाम हो।

*X